

प्रपत्र
(नियम 18 देखिये)

वीडियो पुस्तकालय के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

संख्या: / मनो०कर/ वीडियो—लाइब्रेरी/ दिनांक

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

महोदय,

मैं एक वीडियो पुस्तकालय का लाइसेंस लेना चाहता हूँ जिसके लिए उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किए जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी उत्तराखण्ड चलचित्र वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन नियमावली, 1988 के नियम-18 के अधीन अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करता हूँ—

1. आवेदक का नाम:—

2. पिता का नाम:—

3. आयु:—

4. पता (1) स्थायी पता सच्चक रूप से सत्यापितः—

लाइसेंस दिलाई गई तिथि 15 अक्टूबर, 2018 की तिथि सत्यापित की है ताकि यह वर्तमान पता के लिए लाइसेंस दिलाई गई तिथि से बड़ा न हो।

(2) वर्तमान पता:—

5. उस स्थान का पता जहां वीडियो पुस्तकालय चलाया जायेगा:—

6. वीडियो पुस्तकालय खुलने व बन्द होने का समय:—

7. सासाहिक बन्दी का दिनांक, यदि कोई हो:—

8. क्या आवेदक स्वयं पुस्तकालय में उपस्थित रहेगा, यदि नहीं तो उपस्थित रहने वाले व्यक्ति का नाम व पता:—

9. अवधि जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है:—

10. कैसेटों व सी०डी० की सम्भावित संख्या जो पुस्तकालय में रखना प्रस्तावित है:—

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं सही हैं तथा कुछ छुपाया नहीं गया है।

दिनांक:

आवेदक का नाम

व हस्ताक्षर